प्रेस विज्ञप्ति

10/01/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोझीकोड ने 09.01.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता ए पी प्रमोद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए मामले) में 1.25 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में परिवार के सदस्यों के नाम पर अचल संपत्तियां और सावधि जमा शामिल हैं।

ईडी ने सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी शाखा (वीएसीबी), कोझिकोड के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि 23.05.2003 से 22.05.2013 की अवधि के दौरान केरल लोक निर्माण विभागों के तहत विभिन्न पीडब्ल्यूडी कार्यालयों में सहायक कार्यकारी अभियंता के रूप में काम करते हुए अधीक्षण अभियंता, कोझीकोड के रूप में सेवानिवृत्त एपी प्रमोद ने आय के ज्ञात और कानूनी स्रोत से अधिक धन और धन अर्जित किया था।

आय के ज्ञात स्रोतों से परे अर्जित नकदी को अपने रिश्तेदारों के माध्यम से अपने बेटों के नाम पर सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा किया गया और अपने रिश्तेदारों के नाम पर बेनामी बैंक खाता खोला और संचालित किया गया। दागी धन को पूंजी के रूप में निवेश किया गया और पति या पत्नी के नाम पर कई व्यावसायिक संस्थाओं जैसे कंपनियों और साझेदारी में ऋण के रूप में जमा किया गया और पति या पत्नी के नाम पर पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों और उनके रिश्तेदारों के साथ सह-स्वामी के रूप में अचल संपत्ति अर्जित की, जिन्हें ए पी प्रमोद ने अपने कार्यकाल के दौरान पीडब्ल्यूडी के ठेके दिए थे।

इस मामले में, अपराध की आय का पता लगाने के लिए परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित विभिन्न अचल संपत्तियों और बैंक खातों, सावधि जमाओं, व्यापारिक संस्थाओं में निवेश की जांच की गई।

आगे की जांच जारी है।